



2026:AHC:53528

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 9858 वर्ष 2026

श्री बालाजी महाराज महाविद्यालय नगला गढ़ी याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: संजय कुमार दुबे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता, शांभवी तिवारी

न्यायालय सं - 37

माननीय क्षितिज शैलेन्द्र

1. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता श्री संजय कुमार दुबे, प्रतिपक्षी संख्या-1 के स्थायी अधिवक्ता और प्रतिपक्षी संख्या-2 और 3 के अधिवक्ता सुश्री शांभवी तिवारी को सुना।
2. याचिकाकर्ता ने रिट सी संख्या-12506 वर्ष 2016 में पारित दिनांक 21.12.2016 के एक निर्णय के बल पर, प्रस्तुत रिट याचिका दायर की है, जिसमें प्रतिपक्षियों को शैक्षणिक सत्र 2015-16 के लिए याचिकाकर्ता संस्थान द्वारा जमा की गई बढ़ी हुई परीक्षा शुल्क राशि वापस करने का आदेश देने के लिए परमादेश की रिट की प्रार्थना की गई है।
3. प्रस्तुत किया गया है कि जब वर्ष 2016 में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने पूर्वव्यापी प्रभाव से बढ़ी हुई फीस लेने का निर्णय लिया, तो इस न्यायालय ने 68 संस्थानों द्वारा दायर रिट याचिका में हस्तक्षेप किया, कार्यकारी परिषद के उक्त निर्णय को रद्द कर दिया गया और यह देखा गया कि विश्वविद्यालय 26.11.2016 से बढ़ी हुई फीस लेने का हकदार होगा। इसलिए, यह तर्क दिया गया है कि चूंकि संस्थान ने सत्र 2015-16 के लिए बढ़ी हुई फीस जमा की थी, यानी इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कट-ऑफ़डेट से पहले, यह रिफंड प्राप्त करने का हकदार है और हालांकि याचिकाकर्ता द्वारा



विश्वविद्यालय के समक्ष एक आवेदन पेश किया गया है, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और न ही राशि वापस की गई है।

4. सुश्री तिवारी ने प्रस्तुतियों का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि रिट न्यायालय का निर्णय वर्ष 2016 का है और पहली बार, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2024 में एक आवेदन दायर किया, यानी 8 साल बाद और इस तरह के अत्यधिक विलंबित दावे पर विचार नहीं किया जा सकता है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि समान परिस्थितियों में जब रिट न्यायालय ने पहले से एकत्र की गई राशि की वापसी के लिए निर्देश जारी किया था, तो उक्त निर्देश को विशेष अपीलीय पीठ द्वारा एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय और अन्य बनाम सेल्फ फाइनेंस कॉलेज वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य: 2015 (7) ए.डी.जे. 709 (डीबी) के मामले में रद्द कर दिया गया था।

5. प्रस्तुत करना यह है कि उक्त निर्णय के 9 वें प्रस्तर में इस आशय का ठोस तर्क सौंपा गया था कि इस तरह के धनवापसी के परिणामस्वरूप आवश्यक रूप से ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां फीस सीधे उन छात्रों के हाथों तक पहुंच जाएगी जिन्हें फीस देनी होगी क्योंकि उनमें से कुछ ने प्रविधि पूरा करने के बाद अपने कॉलेज छोड़ दिए होंगे। आगे यह देखा गया कि रिट न्यायालय के पास यह इंगित करने के लिए कोई डेटा या सामग्री नहीं थी कि कितने छात्र थे जिनसे फीस एकत्र की गई थी; कितने छात्र अभी भी घटक या संबद्ध कॉलेजों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और कितने ने अपने प्रविधि को पूरा करके या अन्यथा अपने अध्ययन के प्रविधि छोड़ दिए थे।

6. इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि अत्यधिक विलंबित दावे के अलावा, रिट याचिका पर गुण-दोष के आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

7. मैंने पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

8. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का दावा केवल वर्ष 2016 में पारित रिट न्यायालय के निर्णय पर आधारित है और पहली बार, इसने वर्ष 2024 में आवेदन दायर किया है। धन के दावे, यदि उनमें कोई तथ्य है, तो उस व्यक्ति/निकाय के



सामने रखा जाना चाहिए जिसके खिलाफ उक्त दावा उचित समय के भीतर स्थापित किया गया है और सिविल कार्यवाही में भी, परिसीमा अधिनियम, 1963 ऐसे दावे करने के लिए तीन साल की सीमा प्रदान करता है, अन्यथा धनवापसी का दावा करने का मुकदमा सीमा द्वारा वर्जित हो जाएगा।

9. हालांकि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान रिट क्षेत्राधिकार पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं, हालांकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग निश्चित रूप से रिट न्यायालय में जाने में वादी की तत्परता पर निर्भर करता है।

10. देरी की व्याख्या करते हुए रिट याचिका के प्रस्तर-13 से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता को कथित तौर पर उम्मीद थी कि विश्वविद्यालय दिनांक 21.12.2016 के आदेश का पालन करेगा और एक बार इसका पालन नहीं किया गया, याचिकाकर्ता ने वर्ष 2025 में दावा किया।

11. अत्यधिक देरी के लिए दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है।

12. अन्यथा भी, एक बार जब एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय (उपरोक्त) के मामले में खंड पीठ ने पहले ही उसी स्थिति से निपटा लिया है और उन निर्देशों को रद्द कर दिया है जो याचिकाकर्ता अब इस न्यायालय से चाहता है, तो प्रस्तुत याचिका पर गुण-दोष के आधार पर भी विचार करने का कोई अच्छा कारण नहीं है। सुलभ संदर्भ के लिए, उक्त निर्णय के प्रस्तर-9 को पुनरुत्पादन की आवश्यकता है: -

"9. शेष प्रश्न जो विचार के लिए बचा हुआ है, वह अंतिम राहत के संबंध में है जो एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई थी। विश्वविद्यालय ने पहले ही घटक कॉलेजों के माध्यम से विकास शुल्क का एहसास कर लिया है, जिन्होंने व्यक्तिगत छात्रों से शुल्क एकत्र किया था जिसे बाद में विश्वविद्यालय को भेज दिया गया था। एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय को कॉलेजों को शुल्क वापस करने का निर्देश दिया और कॉलेजों को छात्रों को शुल्क वापस करने का निर्देश दिया। हमारे विचार में, यह आवश्यक रूप से ऐसी स्थिति में नहीं होगा जहां शुल्क सीधे उन छात्रों के हाथों तक पहुंच जाएगा जिन्हें शुल्क देना होगा। उनमें से कुछ ने प्रविधि पूरा करके अपने कॉलेज छोड़ दिए होंगे। एकल न्यायाधीश के पास कोई डेटा या



सामग्री नहीं थी जो यह इंगित करे कि कितने छात्रों से शुल्क एकत्र किया गया था; कितने छात्र अभी भी घटक या संबद्ध कॉलेजों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे और कितने ने अपने प्रविधि को पूरा करके या अन्यथा अपने अध्ययन के प्रविधि छोड़ दिए थे। हमारे विचार में एकल न्यायाधीश के आदेश का परिणाम ऐसी स्थिति में नहीं होना चाहिए जहां कॉलेज अंततः विश्वविद्यालय द्वारा किए जा रहे रिफंड पर शुल्क को बरकरार रखते हैं, बिना छात्रों को उनके द्वारा भुगतान की गई फीस की वापसी प्राप्त किए बिना। हमारे विचार में, इस तरह के निर्देश की आवश्यकता नहीं थी। पर्याप्त डेटा के अभाव में और न्यायालय के समक्ष छात्रों के विवरण के अभाव में, ऐसा निर्देश जारी करना उचित या उचित नहीं होगा। परिणामस्वरूप निर्देश का वह हिस्सा रद्द कर दिया जाएगा और रद्द कर दिया जाएगा। हालाँकि, हम एकल न्यायाधीश द्वारा इस घोषणा को बनाए रखते हैं कि अधिनियम की धारा 52 के तहत अध्यादेश बनाए बिना विकास शुल्क लगाना अधिकारातीत और अवैध है।”

13. उपरोक्त सभी कारणों से, रिट याचिका, कड़ी द्वारा अत्यधिक वर्जित होने के अलावा, कोई योग्यता नहीं है। इसलिए, इसे **खारिज** किया जाता है।

मार्च 17, 2026

ज्योत्सना

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र)